फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दवारका देवी उर्फ द्वारका देवी पत्नी ताराचंद कलाल निवासी ऊंचा

बनाम

कौशल्या देवी पत्नी उदाराम जाट निवासी ऊंचा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 30 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
03-04-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ऊंचा प.ह. ऊंचा आराजी सं. 523/35, 523/26, 523/17 कुल किता 03 रकबा 0.7284 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम ऊंचा प.ह. ऊंचा आराजी सं. 523/35, 523/26, 523/17 कुल किता 03 रकबा 0.7284 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया** जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है**। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/30/2024 दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 30 / 2024 अनवान दवारका देवी उर्फ द्वारका देवी पत्नी ताराचंद कलाल निवासी ऊंचा, अनिता पुत्री ताराचंद कलाल निवासी ऊंचा, अनिल कुमार पुत्र ताराचंद कलाल निवासी ऊंचा, शिवानी पुत्री ताराचंद कलाल निवासी ऊंचा, सुनील कुमार पुत्र ताराचंद कलाल निवासी ऊंचा बनाम कौशल्या देवी पत्नी उदाराम जाट निवासी ऊंचा, फूला पत्नी स्व. खाना बलाई निवासी देवली, रामस्वरूप पुत्र खाना बलाई निवासी देवली, फूलचंद पुत्र आत्माराम ब्राहमण निवासी देवली, मनभर देवी पत्नी सुरेश चन्द्र ब्राहमण निवासी देवली, महेंद्र पुत्र आत्माराम ब्राहमण निवासी देवली, संतोष देवी पत्नी आत्माराम ब्राहमण निवासी देवली, अंकिता पुत्री सुरेशचंद ब्राहमण निवासी देवली, नीतू पुत्री सुरेशचंद ब्राहमण निवासी देवली, नंदलाल पुत्र छोटू रेगर निवासी ऊंचा, बाबूलाल पुत्र छोटू रेगर निवासी ऊंचा, राजूलाल पुत्र छोटू रेगर निवासी ऊंचा, सोदरा देवी पत्नी छोटू रेगर निवासी ऊंचा, लोकेश कुमार पुत्र सोजीराम रेगर निवासी ऊंचा, नोरती देवी पत्नी सोजीराम रेगर निवासी ऊंचा, अजय पुत्र किशनलाल मीणा निवासी ऊंचा, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढ़ी की पालना करने बावत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम ऊंचा प.ह. ऊंचा आराजी सं. 523/35, 523/36, 523/17 कुल किता 03 रकबा 0.7284 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है** | पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा